राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	823/2025 हरिनारायण बनाम जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस हेतु एक अवसर चाहा। अत: अधिवक्ता अपीलार्थी को न्यायहित में एक अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली हेतु दिनांक 19/11/2025 को पेश हो।	
19/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 20/11/2025 को पेश हो।	
20/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की बहस समायत करते हुये अन्तरिम आदेश पारित किये, उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/11/2024 पारित कर दिये गये। पटवारी द्वारा अपीलार्थी के खाली कागजो में हस्ताक्षर करवा लिये गये। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर ही ख़ारिज फरमा दिया गया। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम करते हुये साक्ष्य सबूत प्राप्त कर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/11/2024 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है। अत: अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा पेश किया। अपीलार्थी एवं रेस्पो. दोनों सगे भाई है एवं अपीलार्थी विभाजन के वाद को लम्बा चलाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/11/2024 विधिसम्मत रूप से पारित किये गये है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 45 के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हरिनारायण बनाम जगदीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख हुक्म अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की और से जाहिर किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुये ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/11/2024 के विरुद्ध अपीलार्थी ने 7 माह पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी है, जिस कारण सर्वप्रथम धारा-5 कानून मियाद पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार करते हुये पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तलब किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है, जिसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा पुनः आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित तथ्यों को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम ख़ारिज करते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/11/2024 के विरुद्ध दिनांक 11/06/2025 को 6 माह से अधिक के विलम्ब के साथ अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है एवं चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, ऐसे में लम्बी अवधि के विलम्ब को कन्डोन करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य जाहिर नही होते है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/11/2024 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होना धारित की जाकर एवं अपील के गुणावगुण पर कोई बल नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	25

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हरिनारायण बनाम जगदीशनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 823/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/11/2025	प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जाप्ता दीवानी पर आज पत्रावली कार्यालय से तलब होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहराते हुये निवेदन किया कि सहवन से टाइपिंग त्रुटीवश द्वितीय पैरा में रेस्पो. की बहस की छठी पंक्ति में खसरा नम्बर 31 व 3 के स्थान पर खसरा नम्बर 45 अंकित हो गयी है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अत: तदनुसार संशोधन कर दुरुस्त किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी/रेस्पो. सख्या 1 के कथनों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/11/2025 में द्वितीय पैरा में रेस्पो. की बहस की छठी पंक्ति में खसरा नम्बर 31 व 3 के स्थान पर खसरा नम्बर 45 सहवन से टाइपिंग त्रुटीवश अंकित हो गया है, जिसे दुरुस्त किया जाना उचित समझा जाता है। अत: इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/11/2025 में द्वितीय पैरा में रेस्पो. की बहस की छठी पंक्ति में अंकित खसरा नम्बर 45 को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर खसरा नम्बर 31 व 3 संशोधित किया जाकर प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार आदेश दिनांक 20/11/2025 पढ़ा जावे। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर शामिल मूल अपील रहे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	